(29)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3006–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–8–2015 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 268/14–15/अपील

ललित मिश्रा पुत्र श्री मनोहरलाल मिश्रा
निवासी जयमलसिंह की कॉलोनी शास्त्री वार्ड,
सोहागपुर जिला होशंगाबाद म0प्र0

..............आवेदक

विरूद्ध

1–डेविड आत्मज श्री विक्टर मसीह
निवासी ग्राम छेडका हाल मुकाम बजरंगपुरा
इटारसी तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
2–मध्यप्रदेश शासन

.............अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6/3/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ग्राम छेड़का तहसील सोहागपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 43/1 रकबा 3 एकड़ का भूमिस्वामी होकर

काबिज काश्तकार है । उक्त भूमि को आवेदक द्वारा उसके बडे भाई को बहला फुसलाकर अपने नाम रजिस्ट्री बैनामा करा लिया है अतः उक्त विकय पत्र शून्य घोषित किया जाकर प्रश्नाधीन अनावेदक कमांक 1 को दिलवाई जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–5–2005 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 14–3–2006 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–8–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त किये जाकर तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि आदिवासी के भूमि के विकय पत्र में विकय के पूर्व की जो स्थिति थी उसे बनाये रखते हुये अभिलेखों को दुरूस्त करने एवं कब्जा नहीं होने पर कब्जा दिलवाये जाने के आदेश दिये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि उसके द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और पंजीकृत विकय पत्र की जॉच करने एवं उसे शून्य घोषित किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का विकय पत्र उपपंजीयक के समक्ष पंजीयन कराया गया है और पंजीयन के समय विकय प्रतिफल की पूर्ण राशि विकेता को दी गई है । तहसीलदार द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदक एवं अनावेदक दोनों आदिवासी जाति के नहीं है । ऐसी स्थिति में विकय करने के उपरांत 11 वर्ष बाद आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है और यदि इस प्रकार की कार्यवाही हुई है तो विकय व्यवहार न्यायालय से निरस्त कराया जा सकता है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा जालसाजी करके धोखाधड़ी से विकय पत्र निष्पादित कराया गया है जबकि

वास्तव में अनावेदक कमांक 1 के बडे भाई द्वारा किसी प्रकार की कोई भी भूमि का विक्रय नहीं किया गया है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

6/ उभयपक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक अनुसूचित जन जाति का सदस्य है तथा उसे अपनी भूमि विकय करने के पूर्व कलेक्टर की अनुमति लेना चाहिये थी जो अनावेदक द्वारा नहीं ली गई है । अतः अनावेदक द्वारा कलेक्टर की अनुमति लिये बिना प्रश्नाधीन भूमि को विकय किया गया है, जो संहिता की धारा 165 व 170(ख) का स्पष्ट उल्लघंन है इसलिये आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त कर प्रकरण में तहसीलदार को निर्देशित किया है कि वे आदिवासी की भूमि के विकय पत्र में विकय के पूर्व की जो स्थिति थी, उसे बनाये रखते हुये अभिलेखों को दुरूस्त कर कब्जा न होने पर कब्जा दिलायें, इसलिये आयुक्त के आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—8—2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 266—पीबीआर/2014 (लोकेश कुमार विरूद्ध थियो आदि) एवं निगरानी प्रकरण कमांक 267—पीबीआर/2014 (ललित कुमार विरूद्ध सालोमन आदि) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त प्रकरणों में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर